

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2017/ 407

दिनांक 21.4.17

-: आदेश :-

निम्नांकित चिकित्सा अधिकारी जो कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से वर्ष 2013-14 से 2015-16 मे चयनित है, को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ. ()/डीओपी/ए-11/86 दिनांक 06.09.2011 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को एक वर्ष का परीविक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी की रनिंग पे बेण्ड 15600-39100 में ग्रेड पे 5400/- स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	चि. अ. के पद पर परीविक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	नियमित वेतन श्रृंखला देय तिथि
1	डॉ. शशिकान्त शर्मा	07.07.1990	15.10.2015	14.10.2016	15.10.2016
2	डॉ. आस्था बाद्यला	05.02.1983	26.03.2015	25.03.2016	26.03.2016
3	डॉ. शालू अरोडा	29.06.1982	23.12.2015	22.12.2016	23.12.2016
4	डॉ. विनीता कुमारी दौतानियां	14.03.1989	09.10.2015	06.11.2016 (59 EOL)	07.11.2016
5	डॉ. मनोज मीणा	05.06.1989	09.10.2015	16.01.2017 (130 EOL)	17.01.2017
6	डॉ. अंशुल मट्टा	01.10.1988	14.10.2015	13.10.2016	14.10.2016
7	डॉ. गुरुदयाल सिंघानिया	15.07.1976	04.04.2016	03.04.2017	04.04.2017
8	डॉ. आशुतोष कुमार	15.12.1991	15.10.2015	14.10.2016	15.10.2016
9	डॉ. डूंगर सिंह तँवर	15.08.1990	07.10.2015	06.10.2016	07.10.2016
10	डॉ. हेमन्त छंगाणी	21.05.1991	09.10.2015	08.10.2016	09.10.2016
11	डॉ. पुखराज पहाडिया	01.06.1990	04.04.2016	03.04.2017	04.04.2017
12	डॉ. अशोक कुमार पालीवाल	09.06.1989	09.10.2015	08.10.2016	09.10.2016
13	डॉ. विशेष थानवी	17.11.1986	09.10.2015	08.10.2016	09.10.2016
14	डॉ. मेघना गुप्ता	07.07.1979	22.04.2015	03.05.2016 (42 EOL)	04.05.2016
15	डॉ. महेन्द्र सिंह	14.08.1989	16.10.2015	15.10.2016	16.10.2016
16	डॉ. राजेश बाजिया	06.11.1990	16.10.2015	15.10.2016	16.10.2016






निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

कमांक: राजपत्रित / डीपीसी / 2017 / 407

दिनांक 21.4.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को अतिरिक्त प्रतियो सहित भेजकर लेख है, कि सम्बन्धित चिकित्सको की पत्रावली मे नस्तीबद्ध होना सुनिश्चित करे।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करे।
6. कार्यालय सहायक, ए.टी. प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
7. आदेश / रक्षित पत्रावली।


निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर